उत्तर प्रदेश सरकार

# उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

## सूचना / विज्ञप्ति

### उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पदों पर सीधी भर्ती–2022
### अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा (डीवी / पीएसटी) की प्रक्रिया
### एवं
### डीवी / पीएसटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन

संख्याः–पीआरपीबी–बी–(रेडियो संवर्ग)–04 / 2025 दिनांक–मार्च 17 ,2025

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पदों पर सीधी भर्ती–2022 के अन्तर्गत अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण(डीवी / पीएसटी) की कार्यवाही प्रदेश के **08 जनपदों–आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर** में दिनांक **24–03–2025** से प्रारम्भ की जा रही है। उपरोक्त डीवी / पीएसटी की अन्तिम तिथि (रिजर्व तिथि सहित) दिनांक 30–03–2025 व स्थान जनपद **गोरखपुर** व **वाराणसी** है। इसके पश्चात किसी भी तरह का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2– उपरोक्त सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र का लिंक बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर दिनांक 17–03–2025 की सायं को अपलोड किया जायेगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र, निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित सम्बन्धित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।

3– ज्ञातव्य है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा विशेष अपील संख्या–70 / 2025 प्रशान्त कुमार मिश्रा व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 14–02–2025 पारित करके इन्जीनियरिंग की स्नातक डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों को उ0प्र0 रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पदों हेतु पात्र नहीं माना है। इस निर्णय को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुनः विशेष अपील डिफेटिक्व संख्या–74 / 2025 विक्रम सिंह व 13 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या–83 / 2025 प्रभात कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में अलग–अलग निर्णय दिनांकित 06–03–2025 पारित करके पुष्ट किया गया है। यद्यपि तकनीकी कारणों से लिखित परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र जारी किये गये है, **परन्तु शासनादेश, विज्ञप्ति दिनांकित 06–01–2022 तथा विज्ञप्ति दिनांकित 08–03–2025 व मा0 न्यायालय के उपरोक्त निर्णयानुसार इन्जीनियरिंग के स्नातक डिग्री धारक ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास निर्धारित विधाओं में 03 वर्षीय डिप्लोमा नहीं हैं, वह अगले चरण हेतु अर्ह नहीं हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो संदर्भित विज्ञप्ति, शासनादेश व मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में अगले चरण के लिए अर्ह हैं, डीवी / पीएसटी में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित हैं।**

4– यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है, तो वह **हेल्पलाइन नम्बर–044-47749013 (10AM to 6.30PM)** पर सम्पर्क कर सकता है।

5— उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पदों पर सीधी भर्ती—2022 की विज्ञप्ति दिनांकित 06—01—2022 एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:—

**1. अभिलेखों की संवीक्षा**

1—अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिये बुलाया जायेगा। **यह परीक्षण एक समिति द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इस समिति का स्वरूप निम्नवत् है:—**

**(क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित निर्दिष्ट डिप्टी कलेक्टर—अध्यक्ष**

**(ख) जनपद/कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित कोई पुलिस उपाधीक्षक —सदस्य**

**(ग) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम नामित शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी —सदस्य**

**(घ) जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी—सदस्य**

जहॉ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहॉ उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम—निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होगें।

2—मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

3—अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेगें।

4—अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में, आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा तथा यथास्थिति आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविधि कार्यवाही की जायेगी।

**2. शारीरिक मानक परीक्षण:—**

1. उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण तत्समय सम्पादित किया जायेगा जायेगी। अभिलेखों की संवीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जायेगा।

2. **पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है:—**

**(क) ऊॅचाई:—**

(एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गो और अनूसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊॅचाई 168 से0मी0 है।

(दो) अनूसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊॅचाई 160 से0मी0 है।

(ख) सीनाः–

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनूसूचित जातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 से0मी0 बिना फुलाने पर और कम से कम 84 से0मी0 फुलाने पर और अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 से0मी0 बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 से0मी0 से कम नहीं होगा।

<u>टिप्पणीः–</u> **न्यूनतम 05 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।**

(3) **महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् हैः–**

(क) **ऊॅचाईः–**

(एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गो और अनूसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊॅचाई 152 से0मी0 है।

(दो) अनूसचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊॅचाई 147 से0मी0 है।

(ख) **वजनः–**
**महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम वजन 40 कि0ग्रा0।**

6– यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से सन्तुष्ट न हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन अपील/आपत्ति दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसी समस्त अपील/आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थित में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रेतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

7– उपरोक्त डीवी/पीएसटी की अन्तिम तिथि (रिजर्व तिथि सहित) दिनांक 30–03–2025 व स्थान जनपद **गोरखपुर** व **वाराणसी** है। इसके पश्चात किसी भी तरह का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**सामान्य अनुदेशः–**

1– अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक, समय और स्थान पर अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेगें, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

2– यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु सम्बन्धित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिये प्रत्यावेदन दे सकता है। नोडल अधिकारी द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित की गयी दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक 30–03–2025 के पश्चात की कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निधारित नहीं की जायेगी। अगर अभ्यर्थी पुनर्निधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षण में सम्मिलित होने में

विफल रहता है तो उसे उसे परीक्षण में असफल माना जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहें जो भी हों, पुनः परीक्षण के लिये अभ्यर्थी को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि से पूर्व देना होगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा, उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

3– परीक्षण में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अन्तिम रूप से असफल घोषित किये गये अभ्यर्थी को, किसी भी आधार पर, कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

4– अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।

5– अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉन्त्रिक) पदों की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में मा0 उच्च्य न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा विशेष अपील संख्या–70/2025 प्रशान्त कुमार मिश्रा व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 14–02–2025 को पारितनिर्णय तथा विशेष अपील डिफेटिक्व संख्या–74/2025 विक्रम सिंह व 13 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या–83/2025 प्रभात कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में अलग–अलग पारित निर्णय दिनांकित 06–03–2025 का भली–भाति अध्ययन करलें और अपनी शैक्षिक अर्हता के अभिलेख भर्ती की नियमावली एवं विज्ञप्ति तथा उक्त निर्णयों के अनुसार ही समीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत करें।विशेष अपील संख्या–70/2025 प्रशान्त कुमार मिश्रा व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 14–02–2025 को पारित निर्णय का आदेशात्मक अंश निम्नवत हैः–

"In view of the foregoing discussions, the intra Court appeal is hereby allowed. The impugned judgment and order dated 08.01.2025 is upheld to the extent that it holds that the persons possessing Bachelor Degree in engineering are not eligible for being appointed to the posts in question. However, that part of the judgment of the Writ Court by which the entire selection process has been set aside and the authorities have been directed to finalize the eligibility conditions and amend the service rules, in case they so desire, is not sustainable in law in view of the discussion made above and the same is hereby set aside. Costs made easy."

आहूत किये गये अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उपरोक्त प्रावधानों का तथा प्रवेश पत्र में उल्लिखित निर्देशों का भली–भॉति अध्ययन कर लें और उनका अनुपालन करते हुये नियत तिथि, समय व स्थान पर अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों।

**अपर सचिव, भर्ती**
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।